सं०सं०–1/दंत–02/2018–81(1)90

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल,
पटना।

पटना, दिनांक– 7 / 01 / 2019

विषयः– पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना, विपत्र कोड– 20–2210051050009 को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में संविदा सेवायें मद में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू० 1,25,00,000/– (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को विपत्र कोड–20–2210051050009 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में संविदा सेवायें मद में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू० 1,25,00,000/– (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्नरुपेण दी जाती है–

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0009.28.02 संविदा सेवायें	40000000	12500000	52500000	40000000	12500000	52500000	0
कुल योग–	**40000000**	**12500000**	**52500000**	**40000000**	**12500000**	**52500000**	**0**

(2) यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०(2) दि०–17.04.98, 2880/वि०(2) दि०–06.05.06, 2938/वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

(4) इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0009–दंत महाविद्यालय, पटना, विपत्र कोड–20–2210051050009 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से की जायेगी।

क्रमशः

(5) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

(6) आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किय गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

(7) इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

(8) इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

(9) इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

(10) इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

5/1/19

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:–1/दंत–02/2018– 81(1)80 /स्वा०,पटना, दिनांक– 7 /01 /2019

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/1/19

सरकार के विशेष सचिव